हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष
2017–2018

अध्याय–1

संरचना, प्रशासन तथा कार्यविधिः–

कृषि विभाग, वर्ष 2017–2018 में माननीय कृषि मंत्री डा0 रामलाल मार्कण्डे की अनुपम देखरेख में प्रगति पर अग्रसर रहा। विभिन्न स्तर पर जो अधिकारी इस वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग में कार्यरत रहे, उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

सचिवालय स्तरः–

1. श्री अरविंद मैहता, अतिरिक्त मृख्य सचिव {कृषि}।
2. श्री नरेश ठाकुर संयुक्त सचिव {कृषि}।
3. श्री राजेश शर्मा, अवर सचिव {कृषि}।
4. श्री जोगी राम अत्री, अनुभाग अधिकारी {कृषि}।
5. श्री दिवान शर्मा, अनुभाग अधिकारी {कृषि}।

निदेशालय स्तरः–

1. श्री देस राज शर्मा, कृषि निदेशक, हि0प्र0।
2. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
3. श्री एन0 के0 बधान, संयुक्त कृषि निदेशक, हि0प्र0।
4. श्री अशवनी भारद्वाज, मण्डलीय अभियन्ता, भू–संरक्षण, हि0प्र0।
5. डा0 अशोक वर्मा, सब्जी विशेषज्ञ, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
6. श्री दिग्विजय शर्मा, उप कृषि निदेशक, {आलू व विपणन} हि0प्र0।
7. श्री देशराज राणा, पौध संरक्षण अधिकारी, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
8. श्री नरेन्द्र चौहान, सहायक निदेशक {विधि} कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
9. श्री समीर शर्मा, कृषि सूचना अधिकारी, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
10. श्री डी0 डी0 शर्मा, कृषि सॉख्यिकीय अधिकारी, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।
11. श्री हेम राज ठाकुर, प्रभारी राज्य कीट नाशक विश्लेषण प्रयोगशाला, कृषि निदेशालय, हि0प्र0।

संगठनात्मक ढाँचाः–

प्रदेश कृषि विभाग का मुख्यालय शिमला में स्थित है जिसके विभागाध्यक्ष कृषि निदेशक हैं । निदेशक को कार्य संचालन हेतु अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशक की सहायता प्राप्त होती है। उतरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की गई है जिनका कार्यालय कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। यह अधिकारी कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिलों की गतिविधियों की देखरेख करते हैं। प्रत्येक जिले में {लाहौल–स्पिति और किन्नौर जिलों को छोड़कर} कृषि उप निदेशक जिले के कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। लाहौल व किन्नौर जिले में जिला कृषि अधिकारी, स्पिति में सहायक परियोजना अधिकारी {कृषि}, काजा में कृषि संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। जिले में उप निदेशक को जिला कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय आलू विकास अधिकारियों और विशयवाद विशेषज्ञों द्वारा कार्यो में सहायता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक विकास खण्ड में विषयवाद विशेषज्ञ, दो कृषि विकास अधिकारी और 4 से 6 कृषि प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनका कार्य विकास खंडों में कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों हेतु 22 उपमंडलों का सृजन किया गया है और इनमें उपमंडलीय भू0 संरक्षण अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये उपमंडल, मंडलीय मुख्यालयों शिमला, भंगरोटू और पालमपुर से जुडे हैं। इनका प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संबंधित ज़िला के कृषि उप निदेशक के पास होता है जबकि तकनीकी नियंत्रण मंडलीय अभियंता के पास है।

विभाग द्वारा शिमला के मशोबरा में स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण, केन्द्र को राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुंदरनगर में एक कृषक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस संस्थानों में कृषकों के साथ–2 कृषि विकास अधिकारियों, कृषि प्रसार अधिकारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लाहौल–स्पिति जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले में मृदा परीक्षण अधिकारियों के नेतृत्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी चलाई जा रही है। संगठन का चार्ट पृष्ठ 32 पर दर्शाया गया है ।

निदेशालय स्तर पर सुचारू रूप से काम को निपटाने हेतु 10 शाखायें कार्यरत हैं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

<u>शाखा का नाम</u>

1. स्थापना शाखा, 2. तकनीकी शाखा, 3. बिल एवं कैश, 4. लेखा/आडिट, 5. बजट शाखा, 6. आलू एवं विपणन शाखा, 7. योजना शाखा, 8. भू–संरक्षण शाखा, 9. विधि शाखा, 10 परियोजना प्रकोष्ठ।

<u>स्थिति एवं सीमाः–</u>

हिमाचल प्रदेश 31° 22' 40" के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जबकि पूर्व में यह 75° 45' 55" और 79° 04' 20" के पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। इसकी उतरी सीमा जम्मू–कश्मीर राज्य के साथ लगती है जबकि दक्षिण में यह पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ सटा हुआ है। दक्षिण–पूर्व में इसकी सीमा उतराखंड और पूर्व में तिब्बत के साथ लगती है। इसे चार कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ।

1. **शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र { उप ऊष्ण, उप पर्वतीय एवं निम्नपर्वतीय क्षेत्र}**
   इस खण्ड में निचली पहाड़ी की घाटियां आती हैं । ये समुद्रतल से केवल 350 से 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं तथा यहां की जलवायु उप ऊष्ण है। इन क्षेत्रों के तहत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत व कुल कृषि भूमि का 33 प्रतिशत भाग आता है। गेहूं, मक्का, धान, काले चने, गन्ना, सरसों, आलू, सब्जियां, दालें और जौ इत्यादि इस खण्ड की महत्वपूर्ण फसलें हैं ।

2. **मध्य पर्वतीय क्षेत्र {सम शीतोष्ण, समआर्द्र मध्य पर्वतीय क्षेत्र }**
   इस खण्ड में समुद्र तल से 651 मीटर से 1800 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। यहां की जलवायु समशीतोष्ण है। इसके अन्तर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32 प्रतिशत व कुल कृषि भूमि का 53 प्रतिशत भाग आता है। इन क्षेत्रों में उगने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, धान, काले चने, जौ, फ्रांसवीन दालें व चारा फसलें हैं। इन क्षेत्रों में नकदी फसल जैसे कि वेमौसमी सब्जियां अदरक तथा फूलगोभी और जड़ वाली फसलों जैसी शीतोष्ण सब्जियों के बीज उत्पादन की यहां पर अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

3. **उच्च पर्वतीय क्षेत्र {आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र}**

ये समुद्रतल से 1801 से 2200 मीटर की ऊंचाई वाला आर्द्र क्षेत्र है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, चौलाई, मक्का, धान और आलू इत्यादि फसलों की खेती की जाती है । ये क्षेत्र बीज आलू व शीतोष्ण सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं ।

4. **उच्च पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण, खंड**

यह 2200 मीटर से अधिक ऊँचाई के क्षेत्र जहां ज्यादातर बर्फ पड़ती है और केवल एक फसल होती है।

समस्यायें :–

- कठिन भौगोलिक और जलवायु कारकों के कारण भूक्षरण की समस्या तथा भू संसाधनों पर अजैविक दबाव।
- 80.23 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा जल पर आधारित है। इसके कारण सिंचित क्षेत्रों की तुलना में, इन क्षेत्रों में उन्नत तकनीक व आदानों को अपनाने वाले कृषकों की संख्या काफी कम है।
- लघु एवं बिखरी कृषि जोतों {87.95 प्रतिशत कृषक लघु एवं मध्यम श्रेणी के हैं} का होना।
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे – सूखा, बादल फटना, ओले गिरना, भारी वर्षा, तूफान आने तथा तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होने की घटनाएं निरंतर घट रही हैं जिससे फसलों को भारी क्षति पहुंचती है।
- ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, विपणन, ग्रेडिंग और पैकिंग आदि जैसी कृषि विपणन की सुविधाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी।
- कृषकों में जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव और उनकी कम क्रय शक्ति।
- सीमित कृषि मशीनीकरण।
- आवारा पशुओं एवं बंदरों से फसलों को खतरा।

कृषि विकास के लिए दृष्टिकोणः

कृषि क्षेत्र में विद्यमान बाधाओं और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा किसानों के आर्थिक उत्थान की प्रतिबद्धता को देखते हुए कृषि विभाग ने इसके लिए रणनीति तैयार की है, जिसमें बेमौसमी सब्जियों, सब्जी बीज, आलू, अदरक के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ–2 विभाग मक्का, चावल और गेहूं जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है।

विशेष प्राथमिकताऐंः–

1. उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है वहां परंपरागत फसलों से वाणिज्यिक फसलों में विविधीकरण किया जायेगा। किसानों को कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग किए बगैर जैविक सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जायेगा।
2. बड़े पैमाने पर प्राकृतिक जल संसाधनों का कुशल उपयोग करके वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास। इसके लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत अधिक से अधिक धन का प्रबन्ध।
3. इसके साथ ही वर्षा जल संरक्षण दूसरा क्षेत्र है जिससे न केवल फसलों को जीवनदायनी सिंचाई उपलब्ध होगी बल्कि भूमिगत पानी का पुनःभरण होगा और भू–अपरदन भी रूकेगा। लघु सिंचाई टैंकों/उथले कुंए बनाने तथा पम्प सेट के लिए विभाग केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करेगा।
4. हाईब्रीड मक्का बीज के माध्यम से मक्का के उत्पादन में वृद्धि करना।
5. परिशुद्ध कृषि पद्धतियों को अपनाना {पॉली हाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई}
6. जैविक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है।
7. फसलोतर प्रबन्धन व कुशल विपणन पद्धति।
8. आगामी वर्षो के दौरान पर्वतीय कृषि के मशीनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । श्रम की ऊंची लागत को देखते हुए यह खेती की लागत को कम करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा तकनीकी कार्य समूह का गठन किया गया है जो कि नए उपकरणों व मशीनों की पहचान करेगा जो कि प्रदेश हेतु उपयुक्त हो सकते हैं ।
9. समस्या वाले क्षेत्रों हेतु अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करके उन्हें धन उपलब्ध करवाना।
10. सार्वजनिक–निजी भागीदारी से प्रसार सुधार कार्यक्रम।
11. कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन।
12. उत्पादन व गुणवता में वृद्धि करना।
13. कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग किए जाने की संभावनाएं तलाशी जायेंगी।
14. मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड ।

प्रोत्साहन/सहायताः–

लघु एवं सीमांत किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कई तरह के प्रोत्साहन/सहायता प्रदान की जाती है।

ए}

1. प्रमाणित गेहूं बीज पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10/–रू0 प्रति किलोग्राम की सहायता।
2. चावल की अधिक उपज वाली बीज किस्मों पर 10/–रू0 प्रति किलोग्राम या 50 प्रतिशत सहायता।
3. गेहूं की फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु 500/–रू0 प्रति हैक्टेयर या 50 प्रतिशत की सहायता पर जो भी कम हो।
4. दालों/तिलहन के आधारित प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 25/–रू0 प्रति किलोग्राम की सहायता ।

बी.}

मिश्रित उर्वरकों एन.पी.के 12:32:16, 10:26:26 एवं एन.पी.के 15:15:15 पर 1000/–रू0 प्रति मीट्रिक टन का अनुदान। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत पानी में घुलनशील एन.पी.के. कोम्पलैक्स खादों जैसे 19:19:19, 18:18:18:, 0:050 {सलफेट ऑफ पोटाश} पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है ।

सी.}

बायोगैस के दो मॉडलों "दीनबंधु" और "जनता" का प्रचार किया जा रहा है जिन पर एक क्यूबिक मीटर प्लांट पर 7000/–रू0 तथा एक क्यूबिक मीटर से अधिक की क्षमता पर 11000/–रू0 का अनुदान दिया जा रहा है। विद्यालय और छात्रावासों में भी सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जिन पर प्रति संयंत्र 11,000/–रू0 तक का अनुदान दिया जाता है।

डी.}

आर.सी.सी टैंक 50 घन मीटर क्षमता पर 50 प्रतिशत सहायता या अधिकतम 70,000/–रू0 ।

ई.}

आर.सी.सी.टैंक 20 घनमीटर के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सहायता या अधिकतम 36,000/–रू0 ।

एफ.}

आर.सी.सी.टैंक 9 घन मीटर की क्षमता निर्माण के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000/–रू0 ।

जी.}

पॉली हाऊस के निर्माण व इसके अन्दर सूक्ष्म सिंचाई को स्थापित करने के लिए 85 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है तथा 15 प्रतिशत योगदान लाभार्थियों का होता है। इसके अलावा पॉलीहाउस के लिए जल संसाधनों के सृजन के लिए, पंपिंग सैटों व लघु लिफटों आदि के लिए 50 प्रतिशत तक का सहायता अनुदान दिया जाता है।

एच्च.}

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा राज्य में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, प्रीमियम पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।

आई.}

मृदा परीक्षण निःशुल्क किया जाता है ।

जे.}

किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ।

1. भौतिक उपलब्धियां :–

क0सं0	भौतिक	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (अनुमानित)	वर्ष 2018–19 (प्रस्तावित लक्ष्य)
अ.	**उत्पादन {000 मि0टन}**				
1.	अनाज,	1634.07	1562.73	1645.35	1668.75
2.	सब्जी	1608.55	1653.51	1540.00	1650.00
3.	आलू	183.25	195.84	198.66	195.00
4.	अदरक उत्पादन {हरा}	32.33	**35.39**	32.70	35.00
ब.	**समग्री का वितरण {मीट्रिक टन}**				
1.	उर्वरक {एनपीके}	57,580	56,491	57,560	51,500
2.	बीज {अनाज,दलहन और तिलहन}	10,204	9,383	8,768	10,210
3.	पौध संरक्षण सामग्री {मी0ट0}	185.40	205.00	175.00	135.00
स.	**अधिक उपज वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र {000 हैक्टेयर**				
1.	मक्का	200.07	255.00	206.00	205.00
2.	धान	62.64	75.00	65.00	63.00
3.	गेहूं	324.00	354.00	342.00	330.00
द.	**मृदा और जल संरक्षण उपायों के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र {है0 में}**	3,500	3,530	3,600	3,600
य.	**विश्लेषित मिट्टी के नमूनों की संख्या**	67,800	69,235	65,000	50,000

2. वित्तीय उपलब्धियां :–

वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के तहत योजना एवं गैर योजना परिव्यय निम्न प्रकार से है :–

(रू0 करोड़ में)

क0सं0	मुख्य विकास	वर्ष 2017–18 के लिए परिव्यय	
		योजना	गैर–योजना
1.	फसल कृषि कॉप हैस्वैन्डरी	124.57	110.73
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	46.80	24.41
3.	कृषि शोध एवं शिक्षा	85.00	0.00
4.	बायोगैस विकास	–	4.85
5.	अन्य	–	–
	कुलः–	**256.37**	**139.99**
	पूंजी परिव्यय व सामग्री की खरीद	–	42.92
	कुल जोड़ः–	**256.37**	**182.91**

हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :–

प्रदेश में कृषकों को उन्नत किस्मों का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था, कार्य कर रही है। यह संस्था मुख्यतः आलू, मटर, गेहूं, सब्जी आदि के बीजों का प्रमाणीकरण करती है।

हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्डः–

कृषकों को उनकी उपज की सही कीमत दिलवाने हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उपज़ मण्डी अधिनियम, 2005 लागू रहा है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंडियों के निर्माण आदि की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड़ कार्यरत रहा है। इस बोर्ड़ का मुख्य उद्देश्य मण्ड़ी समितियों द्वारा अधिनियम को लागू करवाना व मण्डियों के निर्माण में मण्ड़ी समितियों की सहायता करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार श्री सुभाष मंगलेट की देखरेख में अग्रसर रहा तथा प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार श्री आर0 एस0 वर्मा द्वारा संभाला गया। मण्डियों के आधुनिकीकरण हेतु प्रमुख मण्डियों को इंटरनैट से जोड़ा गया ताकि किसान उचित जानकारी प्राप्त कर सके। वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि उत्पादकों, व्यापारियों, खरीददारों एवं उप–भोक्ताओं के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुये मण्डी सुविधायें प्रदान करने हेतु बोर्ड़ अग्रसर रहा। बिचौलियों और दलालों से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिये फल व सब्जियों के विपणन हेतु किसानों बागवानों को उनके

उत्पादन क्षेत्र में 58 मंडियों व उप मंडियों का निर्माण किया जा चुका है जिसमें किसान व बागवान अपनी कृषि उपज को बेच कर उचित दाम वसूल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मंडियों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

कृषि कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिलों में कार्यरत अधिकारियों को समुचित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई है। खरीफ तथा रबी मौसमों में कम से कम एक बार विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा सभी नियन्त्रण अधिकारियों की कृषि निदेशालय में बैठक बुलाकर की जाती है। इसके अतिरिक्त नियन्त्रण अधिकारी हर योजना के मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते हैं जिनकी समीक्षा राज्य स्तर पर कृषि सचिव तथा मुख्य सचिव द्वारा भी की जाती है।

उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2017–2018 में कृषि विभाग की स्टाफ व्यवस्था निम्नलिखित हैः–

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
प्रथम	578	392	186
द्धितिय	10	4	6
तृतीय	1961	1026	935
चतुर्थ	781	500	281
कुल	**3330**	**1922**	**1408**

अध्याय–2

प्रदेश में कृषि की भूमिका, उपलब्धियां तथा लक्ष्य

2.1 भूमिका :–

हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र कुल जनसंख्या के लगभग 62 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। प्रदेश सरकार के आथिक सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों का लगभग 16.01 प्रतिशत योगदान है । कृषि विभाग के अथक प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते गत वर्षो में फसलों के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। सरकार की कृषि के अनुकूल नीतियां व बुनियादी ढांचे के विकास से कृषि में विविधिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप यहां के किसानों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। हालांकि अपर्याप्त भूमि संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या के बोझ का कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से कुल आपरेशनल जोतों का क्षेत्र 9.55 लाख हैक्टेयर है तथा 9.61 लाख किसान इस भूमि के मालिक हैं। औसतन जोत का आकार 1.00 हैक्टेयर है। सांख्कीय सारांश हिमाचल प्रदेश 2016–17 के अनुसार वर्तमान भूमि उपयोग व आपरेशनल जोतों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्तमान भूमि उपयोगः–

क0सं0	वर्गीकरण	क्षेत्र हैक्टेयर में	कुल प्रतिशतता
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्र		
अ	व्यवसायिक सर्वेक्षण द्वारा	55,67,300	–
ब	ग्राम सर्वेक्षण द्वारा	45,75,566	–
2.	वन	11,26,124	24.61
3.	बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि	7,77,484	16.99
4.	गैर कृषि कार्यो के लिए आरक्षित भूमि	3,49,804	7.64
5.	स्थाई चरागाह एवं अन्य चरागाह भूमि	15,10,434	33.15
6.	विविध कृषि वन फसलों के तहत भूमि	63,670	1.39
7.	कृषि वाली बंजर भूमि	1,21,667	2.66
8.	अन्य परती भूमि	22,265	0.49
9.	वर्तमान परती	54,154	1.18
10.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5,49,964	12.02
11.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	3,81,898	8.35

स्त्रोतः– सांख्कीय सारांश हिमाचल प्रदेश 2016–17

जोतों का वितरणः–

जोतों का आकार {हैक्टेयर में}	श्रेणी {कृषक}	जोतों की संख्या {लाखों में}	क्षेत्र {लाख हैक्टेयर में}	जोत का औसत आकार {हैक्टेयर}
1.0 से नीचे	सीमांत	6.70 {69.78 प्रतिशत}	2.73 {28.63 प्रतिशत}	0.41
1.0–2.0	छोटा	1.75 {18.17 प्रतिशत}	2.44 {25.55 प्रतिशत}	1.39
2.0–4.0	अर्ध मध्यम	0.85 {8.84 प्रतिशत}	2.31 {24.14 प्रतिशत}	2.71
4.0–10.0	मध्यम	0.28 {2.87 प्रतिशत}	1.57 {16.39 प्रतिशत}	5.61
10.0 से अधिक	बड़ा	0.03 {0.34 प्रतिशत}	0.51 {5.29 प्रतिशत}	17.00
	कुल	**9.61 (100 प्रतिशत)**	**9.55 (100 प्रतिशत)**	**1.00**

स्त्रोतः– वर्ष 2010–11 की कृषि गणना

उपरोक्त निर्दिष्ट तालिका के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में 87.95 प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं। मध्यम और अर्ध–मध्यम कृषक 11.71 प्रतिशत हैं जबकि 0.34 प्रतिशत ही बड़े कृषक हैं। इसके चलते हिमाचल में अधिकतम लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास आपरेशनल जोतों का लगभग 54.18 प्रतिशत क्षेत्र है। राज्य में उपलब्ध कुल जोतों में से लगभग 22.11 प्रतिशत जोतें अनुसूचित जाति तथा 5.80 प्रतिशत जोतें अनुसूचित जनजाति के किसानों के पास है। लगभग 13.82 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जाति के कृषकों के पास है और 5.26 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जन–जाति के पास है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृशकों की आपरेशनल जोतों का औसतन आकार क्रमशः 0.62 हैक्टेयर एवं 0.90 हैक्टेयर है। जबकि राज्य की औसतन जोत 1.00 है0 है। यहां पर फसल की सघनता 174.69 प्रतिशत है । हिमाचल प्रदेश में लगभग 5.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है ।

प्रदेश की फसल उगाने की सघनता लगभग 172.74 प्रतिशत आंकी गई है। प्रदेश में 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है। इस प्रकार कृषकों को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष 2017–18 के दौरान मॉनसून सीजन में सामान्य से –15॰, व पोस्ट मॉनसून सीजन में –49॰ वर्षा

कम हुई तथा शरद् ऋतु में –72ः, वर्षा कम हुई है जबकि प्री मानसून सीजन में वर्षा सामान्य से –8ः, कम हुई इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017–18 के दौरान प्रर्याप्त वर्षा ना होने के कारण फसलों को कुछ हद तक क्षति पहुंची है। वर्ष 2017–18 के दौरान खाद्यानों के पैदावार का लक्ष्य 1645.35, सब्जियों का 1540.00, आलू का 200.00 तथा अदरक का 32.70 हजार टन रखा गया है।

2.2 पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका :–

पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों, कार्यो तथा दायित्वों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है जिसके अनुरूप प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 {1994 का 4} की धारा 11 {2} 83 {1} और 94 {1} के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न शक्तियां, कार्य तथा दायित्व सौंपा है जिसकी अधिसूचना पंचायती राज विभाग ने पत्र संख्या पी0सी0एच0ए0 {1} 12/87–10406–606 दिनांक 31 जुलाई 1996 द्वारा जारी की है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत कृषि विभाग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन् हेतु दायित्व सोंपा गया है।

यद्यपि कृषि विभाग ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने सभी सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालयों को पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्तर पर कृषि उत्पादन योजनाओं के प्रारूपीकरण, कृषि उत्पादन सामग्री की आपूर्ति/प्रबन्ध, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण, बायोगैस विकास, पौध संरक्षण तथा भू एवं जल संरक्षण के लिये पंचायती राज संस्थाओं को अपनी अधिसूचना क्रमांक पी0सी0एस0एच0–ए0 {1} 12/87–10206–406 दिनांक 31 जुलाई 1996 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2.3 खाद व उर्वरकः–

1} उर्वरकों का वितरणः–

राज्य भर के किसानों को उचित दाम पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए उर्वरकों के खुदरा विक्रय केन्द्रों तक आने वाले परिवहन खर्च पर शत–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ताकि पूरे प्रदेश में खादों के मूल्य एक समान रहें। राज्य सरकार द्वारा मिश्रित उर्वरकों एनपीके 12:32:16, एनपीके 10:26:26, एनपीके 15:15:15 पर प्रति मीट्रिक टन 1000/–रू0 के अनुदान की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुदान योजना तथा गैर–योजना दोनों में दिया जाता है ।

उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने हिमफैड एवं सहकारी समितियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग {हिमफैड एवं सहकारी समितियों} द्वारा किसानों को मिट्टी जांच के अनुसार उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

उर्वरक एक ऐसी सामग्री है जो उत्पादन बढ़ाने में काफी सीमा तक सहायक है। फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिये उन्नत किस्मों के बीज तथा सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना आधुनिक कृषि तकनीकी में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में उर्वरकों की खपत का स्तर 1985–1986 में 23,664 मी0 टन था जो अब बढ़कर वर्ष 2017–2018 में 57560 मी0 टन तक पहुंच चुकी है।

वर्षवार प्रस्तावित उपलब्धियों तथा लक्ष्यों की तालिका निम्नलिखित है :–

इकाई (मी0 टन)

वर्ष	नाईट्रोजन	फॉस्फेटिक	पोटाशिक	जोड़
2012–2013	31500	9400	9100	50000
2013–2014	33306	8261	8593	50160
2014–2015	34458	8641	9550	52649
2015–2016	36266	10738	10576	57580
2016–2017	34559	10650	11282	56491
2017–2018	36600	9771	11189	57560

2} मिट्टी परीक्षण केन्द्रः–

किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा 7 चल मिट्टी प्रयोगशालाओं के अलावा 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनके द्वारा मिट्टी के लगभग 1,00,000 नमूनों का प्रतिवर्ष विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष 1,00,000 किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है और इन योजना के तहत इन

प्रयोगशालाओं व इनमें नियुक्त कर्मचारियों को वेतन की अदायगी हेतु परिव्यय प्रस्तावित है ।

2.4 अधिक उपज देने वाली किस्में:–

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों की किस्मों को किसानों में वितरित करने पर अधिक बल दिया गया है। प्रमुख फसलें जैसे मक्की, धान, गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रफल का ब्योरा निम्नलिखित है:–

अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्रफल 000 हैक्टेयर:–

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2012–13	288.15	75.70	335.00
2013–14	285.05	76.05	341.35
2014–15	200.27	36.02	225.74
2015–16	200.07	62.64	324.00
2016–17	255.00	75.00	354.00
2017–18	206.00	65.00	342.00

अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को 50 प्रतिशत कीमत पर कृषकों में वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी जानकारी ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर उपलब्ध करवाईं गई। प्रदेश के कृषकों के लिये केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कृषकों को काफी लाभ मिल रहा है । एन0 डब्ल्यू0 डी0 पी0, आर0 ए0 आई0 सी0 डी0 पी0 {गेहूं}, बायोगैस, सब्जी विकास, आलू विकास, अदरक विकास इत्यादि विकास की केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता से योजनायें भी लागू की जिससे कृषकों को काफी लाभ पहुंच रहा है।

2.5 पौध संरक्षण :–

फसलों को बीमारियों तथा कीटों से बचाने हेतु पौध संरक्षण उपायों को अपनाना परम आवश्यक है। प्रत्येक मौसम के दौरान पौध संरक्षण अभियानों का आयोजन किया गया। पौध संरक्षण रसायनों एवं उपकरणों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, आई0आर0डी0पी0 परिवारों, पिछड़ा क्षेत्र के कृषकों तथा लघु व सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया। पर्यावरण दृष्टिकोण से विभाग एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दे रहा है।

वर्षवार उपलब्धियां तथा लक्ष्य नीचे दिए गए हैंः–

वर्ष	पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र {000 हैक्टेयर}	पौध संरक्षण दवाईयों/रसायनों का वितरण {मी0 टन}
2012–13	92.00	161.189
2013-14	120.51	210.900
2014-15	108.63	190.11
2015–16	105.94	185.40
2016–17	111.58	205.76
2017–18	103.26	180.71
2018–19 (लक्ष्य)	77.14	135.00

अध्याय–3

वाणिज्य फसलें:–

जैसा कि पहले भी दर्शाया गया है कि कृषि विभाग की यह नीति रही है कि किसानों को अधिक से अधिक आय उपलब्ध करवाई जाए। इस सन्दर्भ में नकदी फसलें जैसे बे–मौसमी सब्जियां, सब्जियों के बीज, आलू, अदरक तथा चाय इत्यादि के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है।

3.1 आलू:–

आलू प्रदेश की अति महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है क्योंकि प्रदेश की शीत समशीतोष्ण जलवायु अच्छी किस्म के बीज आदि की पैदावार के लिये अति उत्तम है। इसलिये इस पर विशेष रूप से लाहौल स्पिति में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति काफी सीमा तक निर्भर करती है। प्रदेश का बीज आलू विभिन्न रोगों से मुक्त होने तथा अधिक पैदावार की क्षमता रखने के परिणामस्वरूप इसकी मांग देश के विभिन्न राज्यों में काफी अधिक है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवानें के लिये तथा ग्राहकों को उचित किस्म का बीज उपलब्ध करवाने के प्रयास किये गऐ। किसानों को समयानुसार तकनीकी जानकारी के अतिरिक्त प्रमाणित बीज भी उपलब्ध करवाया गया। आधार बीज पैदा करने के लिये वर्ष 2017-18 के दौरान 610 क्विंटल ब्रीडर सीड प्रदेश में आबंटित किया गया। आलू का बीज प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया।

समीक्षा वर्ष 2017–18 में आलू उत्पादकों को आलू उत्पादन के अच्छे दाम प्राप्त हुये जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। वर्षवार आलू के उत्पादन का ब्योरा निम्नलिखित है :–

आलू उत्पादन :–

वर्ष	पैदावार 000 मी0 टन
2012–2013	182.87
2013–2014	205.28
2014–2015	181.38
2015–2016	183.25
2016–2017	195.84
2017–2018	198.66
2018–2019 (लक्ष्य)	195.00

3.2 सब्जियांः–

प्रदेश की कृषि जलवायु समशीतोष्ण सब्जियों तथा उनके बीजों के उत्पादन के लिये अतिअनुकूल है। ये सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, फूलगोभी, शलगम और प्याज आदि हैं। यह सब्जियां प्रदेश में उस समय पैदा होती हैं जबकि उतरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती हैं। इसी लिये प्रदेश के उत्पादक अपनी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त कर लेते हैं। सब्जियों की पैदावार में वृद्धि लाने के लिये कृषि विभाग ने किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक उत्पादक सामग्री भी उपलब्ध करवाई। वर्ष 2017–2018 में 1691.56 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। वर्षवार सब्जी के उत्पादन का ब्योरा निम्नलिखित हैः–

सब्जी उत्पादन :–

वर्ष	उत्पादन 000 मी0 टन
2012–2013	1398.05
2013–2014	1465.96
2014–2015	1576.45
2015–2016	1608.55
2016–2017	1653.51
2017–2018	1691.56
2018–2019 (लक्ष्य)	1650.00

सब्जी उत्पादन में वृद्धि लाने के अतिरिक्त सब्जियों के बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण पर और अधिक बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीजों के उत्पादन हेतु क्षेत्र और फसलों की पहचान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला सोलन, किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, मण्डी और बिलासपुर के भागों में पछेती फूलगोभी, बन्दगोभी, मूली, शलजम आदि सब्जी बीज उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियां हैं।

3.3 अदरक :–

अदरक प्रदेश की एक और नकदी फसल है। इस फसल की काश्त पहले सिरमौर, सोलन तथा शिमला जिलों तक ही सीमित थी परन्तु अब इसे प्रदेश के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि विभाग उत्पादकों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आवश्यक उत्पादन सामग्री भी उपलब्ध करवाता है। अदरक की सड़ने वाली बीमारी राईजोम रॉट की रोकथाम पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2017–2018 में 33,702 टन हरे अदरक की पैदावार हुई।

3.4 चाय व कॉफी विकास :–

राज्य में चाय के अन्तर्गत 2017–18 में 2310.71 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया तथा 8.75 लाख किलोग्राम पैदावार हुई। लघु एवं मध्यम चाय उत्पादकों को कृषि आदानों पर 50% उपदान दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चाय की पौध तैयार करने हेतू पालमपुर में एक नर्सरी स्थापित की गई है। कॉफी की खेती को कॉँगड़ा, मण्डी, बिलासपुर ऊना व हमीरपुर ज़िलों में प्रोतसाहित किया जा रहा है तथा 6.63 है0 क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाया गया है। यह कार्य कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

3.5 फसल विविधिकरण योजना (जाइका–ओ0 डी0ए0):–

हिमाचल प्रदेश में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) के सहयोग से फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इस परियोजना को जून 2011 से शुरु किया गया है। परियोजना क्षेत्र में 5 जिलों कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर, और ऊना शामिल हैं। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2011 से मार्च, 2018 तक यानी 7 वर्ष है जिसकी कुल परियोजना लागत 321 करोड़ रुपये (266 करोड़ रुपये ऋण और राज्य सरकार के हिस्से 55 करोड रुपये) है। परियोजना के घटकों के रुप में नई सूक्ष्म सिंचाई व लघु सिंचाई प्रणालियों के ढांचागत विकास के लिए 210 करोड़ रुपये है। किसान समूह, जैविक खेती को बढ़ावा, वनस्पति संवर्धन प्रशिक्षण, खाद्य अनाज की उत्पादकता में वृद्धि, पोस्ट हार्वेस्ट / विपणन व संग्रह केन्द्रों के निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपये है। संस्थागत विकास के लिए 34.41 करोड़ रुपये है। इसके अलावा आकस्मिकताओं, मूल्य वृद्धि, परामर्श सेवाएं, सामान्य प्रशासन, टैक्स और कर्तव्य, वायदा शुल्क, ब्याज के लिए 124.36 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

3.6 मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसलों को बन्दरों, आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से बचाने हेतू मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सौर बाड़ लगाने हेतू किसानों को 80: का अनुदान दिया जा रहा है।

3.7 मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 **में** मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के किसानों एवं खेतीहार मजदूरों को कृषि उपकरणों के द्वारा लगने वाली चोट या मृत्यु होने पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को 1.50 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 50000/- तक का मुआवजा दिया जाता है।

3.8 उत्तम चारा उत्पादन योजना

राज्य में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तम चारा उत्पादन योजना" शुरु की है जिसके अर्न्तगत 25,000 हैक्टेयर क्षे्त्र चारा उत्पादन के लिए लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को रियायती दरों पर उत्तम घास बीज, कलमें तथा उत्तम गुणवता के चारे की किस्मों में सुधार के लिए बीजों की आपूर्ति की जाएगी। भूसा कटर पर अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति और बी0पी0एल0 किसानों को उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए 6.00 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।

अध्याय–4

केन्द्रीय प्रायोजित योजनायेंः–

भारत सरकार द्वारा पारित जो परियोजनायें कार्यान्वित की जाती है वह समरूप से सभी राज्यों के लिये एक जैसी थी जबकि विभिन्न राज्यों की आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां अलग से है। भारत सरकार ने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल अन्य कार्यक्रमो को भी इसमें शामिल करने की सहमती दी है। ऐसी तैयार की गई स्कीमों को कार्ययोजना में सम्मिलित कर, भारत सरकार कार्ययोजना पर चर्चा उपरान्त स्वीकृत देती है। स्वीकृति कार्ययोजना के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने राज्य योजना बजट से वहन करती है।

4.1. "कृषि विस्तार एंव तकनीकी मिशन" (एन0एम0ए0इ0टी0) :–

बाहरवीं पंचवर्षीय योजना में "कृषि विस्तार एंव तकनीकी मिशन" को आरम्भ किया गया है। इसका मुख्य उदेश्य प्रसार तंत्र का किसान द्वारा संचालन व प्रोद्यौगिकी का प्रसार है । कृषि प्रसार, बीज और रोपण सामग्री, कृषि यांत्रिकी तथा पौध संरक्षण इसके मुख्य घटक हैं । कृषि की नवीनतम तकनीक के प्रसार व प्रचार हेतु सभी ज़िलों में ''आतमा कार्यक्रम" शुरु किया गया है । कृषि विभाग के अलावा किसानों से जुड़े दूसरे विभाग जैसे उद्यान न, पशुपालन, मतस्य व कृषि/बागवानी विश्वविधालय भी इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत खण्ड स्तर पर किसान समूह, स्वयं सहायता समूह व किसान संघ गठित किये गये हैं । इस योजना के तहत हर साल सभी ज़िलों की कार्य योजनायें बनाई जाती हैं तथा कार्य योजनायों को चलाने के लिये धन उपलब्ध करवाया जा रहा है । ब्लाक स्तर पर कृषक सलाहकार समिति बनाई जाती है । किसानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ानें हेतु विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कार भी दिये जा रहे हैं । इस मिशन के तहत 4 सब मिशन आते हैं :–

1. कृषि विस्तार पर उप मिशन
2. बीज और रोपण पर उप मिशन
3. कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन
4. पौध संरक्षण और सयंत्र संघरोध पर उप मिशन

4.2 "राष्ट्रीय सतत् खेती मिशन" (एन0 एम0 एस0 ए0)

प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण के साथ–साथ वारानी क्षेत्रों का विकास प्रदेश में अन्न उत्पादन की बढती हुई मांग को पूरा करने की एक कुंजी है इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014–15 से कृषि उत्पादकता को विशेषतया वारानी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए "टिकाऊ खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन" आरम्भ किया है। इस अभियान के अंतर्गत बारानी क्षेत्रों का विकास, मुल्यसंवर्धन एंव कृषि विकास गतिविधियां, जलवायु प्रबन्धन व टिकाऊ कृषि जैसे उप कार्यक्रम शामिल है।

इस मिशन के तहत 5 उप योजनायें इस प्रकार हैं :–

1. वारानी क्षेत्रों का विकास,
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
3. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन,
4. परंपरागत कृषि विकास योजना,
5. कृषि वानिकी पर उप मिशन।

4.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः–

प्रदेश में धान, मक्की दालों और गेहूँ का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिये ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान'' आरम्भ किया गया है। इस अभियान के अर्न्तगत धान, मक्की दालों और गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत धान के लिये कॉंगड़ा, मंडी व गेहूं के लिये 11 ज़िले (शिमला को छोड़कर) शामिल हैं। मक्की के लिये 9 ज़िले (शिमला, किन्नौर व लाहौल को छोड़कर) शामिल हैं। इसके अलावा खरीफ मौसम में माश व मूंग की दलहनी फसलों के लिये 9 ज़िले (शिमला, किन्नौर व लाहौल को छोड़कर) शामिल हैं। इसके अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन क्षेत्र, मशीनरी, बीज, सूक्ष्म तत्व, पौध संरक्षण इत्यादि दी जा रही है ताकि धान, मक्की व गेहूँ की पैदावार बढ़ाई जा सके । वर्ष 2017–18 के लिए राज्य योजना में 165.00 लाख के व्यय का अनुमान हैं।

4.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार ने सिंचाई के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग बढाने के लिये और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के उद्धेश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आरम्भ किया है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (हर खेत को पानी) एवं सभी सिंचाई से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण तथा जल बचाव तकनीक के माध्यम से पानी के दुरुपयोग को कम करना है। वर्ष 2017–18 के लिए राज्य योजना में 2.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया हैं।

4.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

यह योजना अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में वर्ष 2007–08 से चलाई गई है। इस हेतु जिला कृषि योजनाऐं बनाई गई। इन योजनाओं के आधार पर स्कीमें बनाकर राज्य स्तरीय समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हैं से स्वीकृत करवाई जाती है। योजना में भारत सरकार द्वारा धन का आवंटन निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है तथा इसमें कृषि विभाग के अतिरिक्त उद्यान, पशुपालन के मत्स्य पालक हेतु भी स्कीमें बनाकर धन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2017–18 के लिए कृषि विभाग हेतु 39.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया हैं।

4.6 बायोगैस विकास कार्यक्रम :–

हिमालय खण्ड में जितनी भी बायोगैस उत्पन्न की जा रही है, उनमें अधिकांश मात्रा केवल हिमाचल प्रदेश में ही उत्पन्न की जा रही है। बायोगैस संयन्त्र के निर्माण हेतु किसानों को 7000 रूपये प्रति 1 घन मी. तथा 11000 रूपये प्रति 2 घन मी. प्रति बायोगैस संयन्त्र पर उपदान दिया जाता है। प्रदेश में जनता तथा दीनबन्धु दो प्रकार के संयन्त्रों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2017–2018 में 37 बायोगैस संयन्त्रों का निर्माण किया गया।

अध्याय–5

अन्य कार्यक्रम

5.1 कृषि सूचना सेवाः–

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की कृषि सूचना सेवा अपने सभी उपलब्ध संचार माध्यमों जिनमें मुद्रणालय प्रकाशनों, प्रर्दशनियों तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन सम्पर्को से न सिर्फ किसानों तक ही आधुनिक तकनीकी जानकारी पहुंचाती है बल्कि किसानों के साथ–2 दूसरे प्रसार कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न तथा नवीन तकनीकी ज्ञान से अवगत करवाती है। इस सूचना सेवा द्वारा सरकार की अगले 5–6 वर्षों में सभी कृषकों को मिट्टी स्वास्थय कार्ड उपलब्ध करवाने की योजना के साथ–2 समीक्षा वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

कृषि प्रकाशन/पठ्न सामग्री :–

प्रदेश के किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकी व कृषि योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में पाठ्य सामग्री का अपना विशेष योगदान है। कृषि सूचना शाखा द्वारा निम्नलिखित पठ्न सामग्री छपवाई गई जो कि प्रदेश के सभी जिलों में भेजी जा रही है, ताकि यह सामग्री प्रशिक्षण शिविरों, प्रदर्शनियों व किसान मेलों के दौरान किसानों को उपलब्ध करवाई जा सके।

1. हिमाचल प्रदेश में मक्की की सफल खेती के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें।
2. अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी परीक्षण।
3. जैविक खेती के राष्ट्रीय मानक।
4. केंचुआ खाद भूमि के उपजाऊपन के लिए वरदान।
5. आधुनिक खेती में जैव उरर्वकों का महत्व और इस्तेमाल।
6. केंचुआ खाद।
7. जैविक खेती।
8. पालीहाउस में सब्जी उत्पादन।
9. विभिन्न प्रकार के विभागीय प्रपत्रों की छपाई।

इसके अतिरिक्त विभाग से सम्बन्धित जोनल कान्फ्रैंस के मसौदो, लोक लेखा समिति आदि के प्रतिवेदनों की छपाई की गई व इन प्रतिवेदनों, रजिस्टरों, रिपोर्टों आदि की छपाई की गई।

आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रचारः–

रेडियो व दूरदर्शन कृषि कार्यक्रमों व कृषि में नवीनतम जानकारी दूर–दराज के किसानों तक पहुंचाने का उत्तम साधन है। वर्ष 2017-18 में कृषि कार्यक्रमों, नवीनतम कृषि जानकारी, सफल कहानियों का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन शिमला से समय–समय पर कराया गया। दूरदर्शन व आकाशवाणी केन्द्र शिमला, आकाशवाणी के एफ एम केन्द्र हमीरपुर व धर्मशाला से समय–2 पर फलैश मैसेज दिए गए ताकि किसान विभागीय योजनाओं से लाभ उठा सके। सप्ताह में 6 दिन 30 मिनट के कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

समाचार पत्रों द्वारा प्रचारः–

समय समय पर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन, लेख आदि छपवा कर विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई। इस वर्ष विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा कृषि से सम्बन्धित समाचार दिये गए।

प्रदर्शनियांः–

समय समय पर कृषि सम्बन्धी जानकारी देने के लिए कृषि विभाग द्वारा लोगों को प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर व राज्य स्तरीय उत्सवों/ मेंलों पर भी कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनियां लगाई जाती है तथा किसानों को नयी तकनीकों के बारे में अवगत कराया जाता है। भारतीय जैविक व्यापार मेले में प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने बढचढ़ कर हिस्सा लिया तथा अपने जैविक उत्पाद प्रर्दशित किये। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न जिलों में भिन्न–भिन्न अवसरों पर लगने वाली प्रर्दशनियों में भी बढ़चढ़ कर भाग लिया गया। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व बैठकों की दैनिक समाचार पत्रों, अकाशवाणी, दूरदर्शन, लोकल चैनलों द्वारा कवरेज कराई गई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाः "जन संचार माध्यमों से कृषि प्रसारण

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत दूरदर्शन व आकशवाणी के माध्यम से कृषि प्रसार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दूरदर्शन शिमला से शाम 6 से 6.30 बजे तक {कृषि दर्शन} कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है तथा यह सप्ताह में 5 दिन दिखाया जाता है|

आकशवाणी घटक के अन्तर्गत सप्ताह में 6 दिन आधे घन्टे का 'किसान वाणी कार्यक्रम' प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में एफ.एम. हमीरपुर व धर्मशाला से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा इसमें बढचढ़ हिस्सा लिया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना – "NeGP-Agriculture" :-

इस योजना से सरकार द्वारा खण्ड स्तर तक के कार्यक्रमों को कम्पयुटर नैटवर्क द्वारा जोड़ने की योजना है। ताकि कृषक समुदाय को सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत कृषि सेवायें प्राप्त हो सके। इस तरह इन सेवाओं की दक्षता पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकें। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को सात राज्यों में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश को इस योजना के लिए एक करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं। इस योजना के लागू होंने पर किसानों को अत्याधिक लाभ हो रहा है स्कीम के अर्न्गात कृषि सम्बन्धी 12 प्रकार की सेवाएं/सूचनाऐं प्रदान की जा रही है।

किसान काल सैन्टर :–

इसके अतिरिक्त प्रदेश में किसानों को कृषि में आने वाली समस्याओं के समाधान, कृषि तकनीकी सूचना, कृषि विकास की योजनाओं व सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए "किसान काल सैन्टरष स्थापित किया गया है। यदि कृषि से सम्बन्धित कोई समस्या हो तो कृषक टेलीफोन न0 1800–180– 1551 डायल कर विशेषज्ञों द्वारा समाधान व उचित जानकारी प्राप्त कर उसका निदान कर सकते हैं। यह टेलीफोन सुविधा निःशुल्क है।

5.2 बीजों की प्रायोगिक जांच :–

फसल की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि बीज उगाने से पहले बीज की अंकुरित शक्ति, शुद्धता तथा गुणवता की जांच की जाये। इस संदर्भ में बीज जांच प्रयोगशालायें पालमपुर सोलन तथा मण्डी में स्थापित है, जो कृषकों को निःशुल्क उपयोगी सेवायें प्रदान कर लाभान्वित कर रही है।

5.3 उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला :–

किसानों में घटिया उर्वरक का वितरण न हो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा उर्वरक जांच हेतू सुन्दरनगर में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला वर्ष 1976–77 में केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित की गई है तथा अब यह प्रयोगशाला राज्य योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के गुणवता की जांच करना है ताकि किसानों में घटिया उर्वरकों का वितरण न हो सके। उर्वरक नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत विभिन्न उर्वरक वितरण डिपुओं व गोदामों से उर्वरकों के नमूने एकत्रित किये जाते है। उनकी शुद्धता इत्यादि की जांच इस प्रयोगशाला में की जाती है। ऐसी प्रयोगशालायें शिमला व हमीरपुर में भी कार्यरत है।

5.4 राज्य कीटनाशक जांच प्रयोगशाला :–

राज्य कीटनाशक जांच प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से कृषि निदेशालय में वर्ष 2001–2002 में स्थापित की गई। प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर सरकारी विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच करना है ताकि प्रदेश के किसानों एवम् बागवानों को बढ़िया किस्म के प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध हो सके। इस प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण लगायें गए हैं। यह प्रयोगशाला पूर्णतयः कार्यमूलक है।

5.5 फसल अनुमान सर्वेक्षणः–

गेहूं, जौ, मक्की तथा धान की पैदावार का सही अनुमान लगाने के लिये कृषि सांख्यिकीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का सम सम्भावित विधि द्वारा आयोजन किया जाता है। यह फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के फील्ड कानूनगों तथा कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं तथा उनका निरीक्षण कृषि विभाग में कार्यरत सांख्यिकीय सहायकों/तकनीकी सहायकों तथा अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

खरीफ 2017 में मक्की तथा धान पर क्रमशः 2570 तथा 1898 तथा रबी 2017–2018 के लिए गन्दम तथा जौ पर क्रमशः 2678 तथा 1000 फसल कटाई प्रयोग प्रस्तावित है।

5.6 फसल बीमा

वर्ष 2017–18 से प्रदेश की मुख्य फसलों जैसे गेंहू, मक्की, धान, जौ, आलू अदरक को प्राकृतिक आपदाओं जैसे के आग, आसमानी बिजली, सूखा, आंधी, भारी वर्षा, ओलावृष्टी, चक्रवात, तूफान, कीट व रोगों आदि से हुए नुक्सान की क्षतिपूर्ति हेतु ''प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना'' में शामिल किया गया है। बीमा राशी के प्रीमियम पर उपदान 50 प्रतिशत है। ऋण लेने वाले किसानों हेतु यह योजना अनिवार्य है व गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैछिक है इसके अतिरिक्त वाणिज्य फसलों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है तथा इन पर 50 प्रतिशत प्रीमियम उपदान (राज्य व केन्द्र बराबर) दिया जा रहा है।

5.7 राज्य जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला पालमपुरः–

कीटों पर जैविक ढंग से नियन्त्रण पाने हेतु यह प्रयोगशाला स्थापित की गई है ताकि रासायनिक कीट नाशक जो कि पर्यावरण दृष्टिकोण से नुक्सान दायक है की खपत में कमी लाई जा सके।

अध्याय–6

भू–एवं जल संरक्षणः–

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां घाटी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक खेती की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ढलानदार होने की बजह से अधिकतर खेत ढलानदार है। यद्यपि प्रदेश में पर्याप्त वर्षा औसतन लगभग 1251 मि.मी0 प्रति वर्ष होती है तथापि इसमें 75–80 प्रतिशत वर्षा मौनसून के सीमित काल में होती है। ढलानदार भूमि होने के कारण अधिकतर वर्षा जल नदी नालों से वह जाता है तथा अपने साथ सैंकड़ों टन उपजाऊ मिट्टी भी बहा कर ले जाता है। जिसकी वजह से जहां एक ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है वहीं दूसरी ओर मौनसून के सीमित समय को छोड़कर वर्ष भर अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है तथा फसलों की उत्पादकता में वांछित वृद्धि नहीं हो पाती। वर्षा के जल के संचय व भूमि में नमी बनाये रखने के लिये तथा और अधिक वर्षा द्वारा उपजाऊ मिट्टी का कटाव रोकने के लिये भू0 एवं जल संरक्षण का विशेष महत्व है। प्रदेश में कृषि भूमि पर कृषि विभाग तथा बन भूमि पर वन विभाग आवश्यक भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे है।

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य स्तर पर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

6.1 शिवालिक हिल्ज/दूसरे क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम :–

बरसात के दिनों में नदी–नालों में अत्याधिक पानी के बहाव से नदी–नालों के किनारों के साथ की कृषि योग्य भूमि भी पानी के साथ वह जाती है। नदी–नालों के तटों के साथ लगने वाली इस भूमि को बचाने के लिये सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता से चैक डेम, तारों का जाल, रिटेनिंगवाल, स्पर और हैडवाल इत्यादि बनाये जाते है।

6.2 लघु एवं सीमान्त किसाना को कृषि की पैदावार बढ़ाने हेतु सहायता :–

कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिये हर वर्ष अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयत्न किये जा रहें हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों से पानी का भण्डारण करने के लिये सामूहिक तौर पर तालाबों के निर्माण हेतु अथवा सामूहिक बहाव सिंचाई योजनाओं हेतु शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

6.3 आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत (पॉलीहाउस व सूक्ष्म सिंचाई) योजनाः–

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत प्रदेश में सिंचाई सुविधायें बनाने हेतु धन उपलब्ध करवा रहा है। सरकार द्वारा 111.19 करोड़ रूपये की **"डां0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना"** {पॉलीहाउस व सूक्ष्म सिंचाई} लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक 4700 पॉली हाऊस व 2150 स्प्रिंकलर/ ड्रिप इकाईयां लगाई जायेंगी, जिन पर 85 प्रतिशत उपदान उपलब्ध है तथा 870 पानी के स्रोत जैसे लघु लिफ्ट, मध्यम लिफ्ट और पम्पिंग मशीनरी इत्यादि स्थापित किये जायेंगे जिन पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। लघु व सीमान्त किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाँस के पॉलीहाऊस पर 85 प्रतिशत उपदान भी उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत 8 लाख 35 हजार वर्गमीटर क्षेत्र संरक्षित खेती के अन्तर्गत तथा सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत 8 लाख 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है।

6.4 हि0प्र0 में वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–2018 के दौरान फसलवार/मौसम अनुसार फसल का कुल उत्पादन उपलब्धियां लक्ष्य एवं सम्भावित उपलब्धियां।

ईकाई– {क्षेत्र 000हैक्टेयर में} {उत्पादन 000मीट्रिक टन मे}

क्रम सं0	अनाज	2015–16		2016–17		2017–18	
1.	**खरीफ मौसम**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**सम्भावित**
1}	धान						
	1. क्षेत्र	76.00	73.69	76.00	73.83	76.00	76.00
	2. उत्पादन	132.00	129.88	131.00	135.48	132.00	132.00
2}	मक्की						
	1. क्षेत्र	295.00	294.22	297.00	281.34	294.00	294.00
	2. उत्पादन	730.00	737.65	750.00	736.46	740.00	740.00
3}	रागी						
	1. क्षेत्र	2.50	1.88	2.50	2.52	2.00	2.00
	2. उत्पादन	3.00	1.93	3.50	1.60	2.20	2.20
4}	छोटे आनाज						
	1. क्षेत्र	5.50	4.27	5.00	4.20	5.00	5.00
	2. उत्पादन	4.00	3.09	6.00	4.80	3.70	3.70
5}	दालें {खरीफ}						
	1. क्षेत्र	21.00	17.74	23.00	18.58	17.50	17.50
	2. उत्पादन	16.00	15.53	13.00	15.76	16.00	16.00
	कुल खरीफ						
	1. क्षेत्र	**400.00**	**391.79**	**403.50**	**380.47**	**394.50**	**394.50**
	2. उत्पादन	**885.00**	**888.09**	**903.50**	**894.10**	**893.90**	**893.90**
	रबी मौसम	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**सम्भावित**
1}	गेहूं						
	1. क्षेत्र	360.00	341.05	359.00	338.28	360.00	360.00
	2. उत्पादन	690.00	667.62	650.00	605.18	670.00	670.00
2}	जौ						
	1. क्षेत्र	20.00	19.23	23.00	19.49	19.50	19.50
	2. उत्पादन	35.00	34.33	38.00	28.66	36.00	36.00
3}	चना						
	1. क्षेत्र	1.50	0.36	1.50	0.33	0.43	0.43
	2. उत्पादन	2.50	0.38	3.50	0.41	0.45	0.45
4}	दालें {रबी}						
	1. क्षेत्र	10.00	12.43	8.00	14.33	12.50	12.50
	2. उत्पादन	6.50	43.64	5.00	34.38	45.00	45.00
	कुल रबी						
	1. क्षेत्र	**391.50**	**373.06**	**391.50**	**372.42**	**392.43**	**392.43**
	2. उत्पादन	**734.00**	**745.98**	**696.50**	**668.63**	**751.45**	**751.45**
	कुल {खरीफ+रबी}						
	1. क्षेत्र	**791.50**	**764.85**	**795.00**	**752.88**	**786.93**	**786.93**
	2. उत्पादन	**1619.00**	**1634.07**	**1600.00**	**1562.73**	**1645.35**	**1645.35**
2.	**वाणिज्यिक फसलें**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**सम्भावित**
1}	आलू						
	1. क्षेत्र	19.00	18.02	15.00	15.08	16.00	15.88
	2. उत्पादन	190.00	183.25	195.00	195.84	200.00	198.66
2}	सब्जियां						
	1. क्षेत्र	70.00	75.23	70.00	76.95	72.00	78.68
	2. उत्पादन	1480.00	1608.55	1500.00	1653.51	1540.00	1691.56
3}	अदरक {हरा}						
	1. क्षेत्र	2.60	2.78	3.00	3.07	2.80	2.88
	2. उत्पादन	30.00	32.33	35.00	35.39	32.70	33.70
4}	तिलहन						
	1. क्षेत्र	15.00	10.13	14.00	11.98	12.60	12.60
	2. उत्पादन	9.00	5.69	8.00	6.39	7.30	7.30

विषय सूची

अध्याय		विषय	पृष्ठ
1.		**सरंचना, प्रशासन तथा कार्याविधि**	1–10
2.		**प्रदेश में कृषि की भूमिका, उपलब्धियां तथा लक्ष्य**	11–16
	2.1	भूमिका/ भूमि उपयोग/ओपरेशनल जोतों तथा क्षेत्र का तालिका वद्ध बंटवारा/खाद्यान्न उत्पादन/नकदी फसलों का उत्पादन	11–13
	2.2	पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका	13
	2.3	उर्वरक का वितरण { तत्वों के रूप में}/ मिटटी परीक्षण केन्द्र	14–15
	2.4	अधिक उपज देने वाली किस्में	15
	2.5	पौध संरक्षण	15–16
3.		**वाणिज्य फसलें**	17–20
	3.1	आलू	17
	3.2	सब्जियां	18
	3.3-3.4 3.5	अदरक / चाय विकास / फसल विविधिकरण योजना (जायिका)	18–19
	3.6	मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना	19
	3.7	मुख्यमन्त्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना	20
	3.8	उत्तम चारा उत्पादन योजना	20
4.		**केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें**	21–23
	4.1	कृषि विस्तार एवं तकनिकी मिशन (एन0 एम0 ए0 इ0 टी0)	21
	4.2	राष्ट्रीय सतत् खेती मिशन (एन0 एम0 एस0 ए0)	22
	4.3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	22
	4.4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	23
	4.5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	23
	4.6	बायोगैस विकास कार्यक्रम	23
5.		**अन्य कार्यक्रम**	24–28
	5.1	कृषि सूचना सेवा	24–26
	5.2	बीजों की प्रायोगिक जांच	26
	5.3	उर्वरक नियन्त्रण प्रयोगशाला	27
	5.4	राज्य कीटनाशक जांच प्रयोगशाला	27
	5.5	फसल अनुमान सर्वेक्षण	27
	5.6	फसल बीमा	28
	5.7	राज्य बायोकन्ट्रोल प्रयोगशाला पालमपुर	28
6.		**भू एवं जल सरंक्षण**	29–31
	6.1	शिवालिक हिल्ज/दूसरे क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम	29
	6.2	लघु एवं सीमान्त किसानों की पैदावार बढ़ाने हेतु सहायता	30
	6.3	आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें	30
7.		**वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 के दौरान फसलवार/मौसम के अनुसार फसल का कुल उत्पादन लक्ष्य एवं सम्भावित उपलब्धियां।**	31
8.		**संगठन का चार्ट**	32